न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 39/2013

अनवान :

1. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा।
3. फिरोज खां उम्र 10 वर्ष पिसरान मोहम्मद अली नाबालिग
4. असलम खां उम्र 8 वर्ष जरिये इष्ट मित्र माता अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 19 भादरा।
5. नगीना उम्र 12 वर्ष पुत्री मोहम्मद अली नाबालिग जरिऐ इष्ट मित्र माता अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. नाजमा बेवा सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
2. श्योकत पुत्र सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. भादरा तहसील भादरा।
3. शमसेर पुत्र सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
4. खुशी मोहम्मद पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
5. नेक मोहम्मद पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

   5/1 जमीला
   5/2 जुमिया
   5/3 जनत
   5/4 बरकत
   5/5 दिन मोहम्मद
   5/6 असगर खां
   5/7 महमूद
   5/8 युनस
   5/9 इस्लाम

   } पुत्र–पुत्रियान नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6. मारिया बेवा यासीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

7. कासम
8. सरीफ
9. मुन्शी

} पि0 यासीन कौम मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

10.अंगुरा बेगम पुत्री सफी मोहम्मद पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी माधोसिंधाना तहसील व जिला सिरसा।
11.सरीफा उर्फ सरिया पत्नी सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
12.गुलााब मोहम्मद
13.फैज मोहम्मद
14.हनीफ खां
15.रजाक खां
16.बिसिया बानो
17.जैतुन बानो
18.ज्यानम बानो
19.जूले खां
पुत्र–पुत्रियान फुल मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
20.सन्तलाल
21.जसवन्त
पिसरान धनपतराम जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
22.फुलीदेवी पत्नी मोहरसिह जाति जाट निवासी गढीछानी हाल वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
23.युसुफ
24.शान मोहम्मद
पिसरान उमनदीम जाति मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
25.इल्मदीन पुत्र असरफ अली खां कौम मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
26.सुमित्रादेवी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 भादरा तहसील भादरा।
27. बरकत पुत्र खेरदीन जाति लूहार मुसलमान निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एव 188 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील कपूर चन्द शर्मा**: वादीगण**

वकील श्री किशनलाल यादव **: प्रतिवादी सं.**
1 ता 4, 9,12,15, 23, 24, 25

वकील श्री राजेन्द्र गोयल : प्रतिवादी सं. 11

वकील श्री पवन सिहाग**: प्रतिवादी सं. 27**

वकील श्री रतन धारीवाल **: प्रतिवादी सं. 26**

निर्णय **दिनांक :** 22.1.19

वादी के दावा के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण सं. 1 व वादी सं. 1 के मृतक भाई मौहम्मद अली के पिता सफी मौहम्मद की सम्पत 1995–96 के करीब रौही भादरा में 14 बिघा भूमि खात नोतोड़ की हुई थी, सफी मौहम्मद पुत्र भादर का देहान्त आज से करीब 6 वर्ष

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

पूर्व हो चुका है उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन वादी सं. 1 के पिता सफी मौहम्मद की कब्जा काश्त की थी तथा वही उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया, चूंकि तहसील कार्यालय में अग्निकांड में रिकार्ड जल जाने के कारण सम्वत 2012 की जमाबंदी उपलब्ध नही हो सकी है। राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट लागू होने के बाद उक्त भूमि मुरब्बा किला में दर्ज हो गई है जो चक 10 बारानी के मु.न. 12 का किला नं. 21 से 24 मु.न. 19 किला नं. 1 से 4 कुल 8 किला राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

ऊपर वर्णित 8 किला भूमि सफी मौहम्मद पुत्र भादर ने बंजर पड़ी भूमि को तोड़ कर काबिल काश्त बनाकर सम्वत 1995 में काश्त करनी शुरू कर दी थी जो उक्त भूमि को जीवनप्रर्यन्त काश्त करता रहा तथा वादीगण सं. 1 आज से करीब 40 वर्ष पूर्व अपने पिता के साथ ऊपर वर्णित भूमि को काश्त करता रहा। ऊपर वर्णित कृषि भूमि की सम्वत 2033 की गिरदावरी में सहबन से वादी के पिता का नाम दर्ज नही हुआ। इसलिऐ वादी के पिता नं सम्वत 2033 की गिरदावरी की दुरूस्ती हेतु तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष सन 1977 में कार्यवाही शुरू की जिस पर विवादित भूमि का कब्जा मौके पर देखा गया व पड़ौसियों के ब्यान लिये गये जिससे उक्त भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा वादी के पिता सफी मौहम्मद पुत्र भादर का पाया गया। जिसके अनुसार मिसल नं. 18/77 में अनुवानी सफी पुत्र भादर निर्णय दिनांक 18.7.77 को चक 10 बारानी के मु.न. 12 किला नं. 21 ता 23 व मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 3 में दुरूस्ती के आदेश दिये गये व उक्त दुरूस्ती का नोट तत्कालीन गिरदावरी में लगाया गया। प्रमाणित प्रति गिरदावरी मय नोट संलग्न दावा है तथा गिरदावरी सम्वत 2018 से 20 के मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 24 व मु.न. 19 के किला नं. 1 से 4 की गिरदावरी सफी मौहम्मद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रमाणित प्रतिलिपि गिरदावरी संलग्न वाद है।

इस प्रकार ऊपर वर्णित 8 किला बारानी भूमि वादी सं0 1 के पिता की खातेदारी कृषि भूमि है तथा वादी के पिता सफी मौहम्मद की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र वादी सं. 1 ईकबाल व मृतक पुत्र मोहम्मद अली व प्रतिवादिया सं. 10 तथा प्रतिवादिया सं. 11 उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये। प्रतिवादिया सं. 10 मृतक सफी मौहम्मद की पुत्री व प्रतिवादी सं. 11 मृतक सफी मौहम्मद की पत्नी है जिसने आज से करीब 6 वर्ष पूर्व सफी मौहम्मद की मृत्यु पर अपने समस्त हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 10 व 11 को कोई हक हिस्सा नही रहा है तथा ऊपर वर्णित 8 किला भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादीगण सं 2 ता 5 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

चक 10 बारानी में ही वादी सं. 1 के दादा भादर की 45 किला कृषि भूमि मु.न. 12 के किला नं. 25 की 1 किला, मु.न. 13 किला नं. 21 ता 24 मु.न. 18 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 11, मु.न. 19 के किला नं. 5 ता 23 मु.न. 20 के किला नं. 6, 11, 12, 15, 19, 20, मु.न. 21 के किला नं. 6, 15, 16 मु.न. 42 के किला नं. 1 ता 3 कुल 45 किला कृषि भूमि उसे पुख्ता आंवटित को जो उसकी खातेदारी भूमि थी, भादर की मृत्यु सम्वत 2016 में हो गई थी भादर की मृत्यु के बाद भादर के खाते की कुल ऊपर वर्णित 45 किला कृषि भूमि उसके चारों बेटो क्रमशः सदीक, फुल मोहम्मद, सफी मोहम्मद, यासीन बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये। भादर के चारो बेटों को देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 10 सफी मोहम्मद के वारिस है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 सदीक के वारिस है सदीक के कुल चार पुत्र प्रतिवादी सं. 4, 5 व मृतक सलामु जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 है, व एक वारिस पुत्र खान मोहम्मद था जिसने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 20, 21 को विक्रय कर दी। भादर वाले खाते मे से वादी सं. 1 ने तथा उसके भाई मोहम्मद अली ने अपनी 2–2 किला कृषि भूमि कुल 4 किला भूमि प्रतिवादी सं. 22 को विक्रय कर दी। इस प्रकार वादी के पिता सफी मोहम्मद पुत्र भादर की स्वयं द्वारा नोतोड़ की गई कृषि भूमि उसकी खातेदारी कृषि भूमि चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 24 व मु.न. 19 के किला नं. 1 से 4 कुल 8 किला कृषि भूमि का भादर के खाते की कृषि भूमि से कोई संबंध नही है यह कृषि भूमि तन्हा सफी मोहम्मद पुत्र भादर की खातेदारी कृषि भूमि थी, जिसको सम्वत 1995 से अपने जीवन काल में स्वयं सफी मोहम्मद ने नौतोड़ की व उक्त कृषि भूमि गत 40 वर्षो से वादी अपने पिता के साथ काश्त करता रहा था। वर्तमान में उक्त 8 किला कृषि भूमि वादीगण की कब्जा काश्त में है। वादीगण ने वर्तमान में सावणी की फसल में मोठ, मुंग, बाजरी, ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। उक्त 8 किला भूमि की पुख्ता सींव डोल अलग है। उक्त 8 किला भूमि 45 किला वाली भूमि के उतर पश्चिम की और स्थित है। परन्तु प्रतिवादीगण ने बिना अधिकार खिलाफ कानुन राजस्व कर्मचारियों से साज बाज कर धोखाधड़ीपूर्वक वादीगण की भूमि को हड़प करने के गरज से वादीगण की उक्त 8 किला कृषि भूमि मे से प्रतिवादी सं. 23 से 27 ने मु.न. 12 के किला नं. 21 व मु.न. 19 के किला नं. 1 कुल 2 किला कृषि भूमि अपने खाता में दर्ज करवा ली। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 से 9, 12 से 22 ने बिना अधिकार खिलाफ कानून वादीगण की चक 10 बारानी के मु.न. 19 के किला नं. 2, 3, 4 अपने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

खाते में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि कभी भी उनकी कब्जा काश्त में नही रही न ही उक्त भूमि में उनका कोई हक अधिकार व संबंध रहा है परन्तु कागजात माल में उक्त भूमि गलत तौर पर उनके संयुक्त खाता में अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से ये लोग वादीगण को जबरदस्ती ऊपर वर्णित 8 किला भूमि से बेदखल करने व वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहे है यदि वे अपनी मंशा में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी। इस प्रकार वादीगण यह घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 से 24 व मु.न. 19 के किला नं. 1 से 4 कुल 8 किला कृषि भूमि के वादी सं. 1 का 1/2 तथा वादी सं. 2 से 5 संयुक्त रूप से सम्भाग 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे वाद भूमि में वादीगण की कब्जा काश्त में कोई बाधा दखल नही पहुंचावे व वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नही करे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को बमुकाम भादरा उनके निवास स्थल पर दिनांक 28.08.2006 को वाद भूमि चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 24 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 4 कुल 8 किला भूमि वादीगण सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण सं. 2 ता 5 संयुक्त रूप से सम्भाग 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व वाद भूमि में वादीगण की कब्जा काश्त में दखल नही देने व वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नही करने के लिऐ कहा तो वे ऐसा मानने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 15, 23, 24, 25 की बार बार अवसर दिये जाने के बाद जवाबदावा पेश नही करने पर जवाबदावा बन्द किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, बाद तामील उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 5 के वारिस की तामील जरिये अखबार साया कि गई जो बाद तामील नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 7, 9, 12, 13, 14 ने इकबालदावा पेश किया व प्रतिवादिया संख्या 11 ने अपना जवाबदावा मयप्रतिदावा पेश कर कथन किया कि ''चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 से 24 की 4 बिघा मु.न. 19 के किला नं. 1 से 4 की 4 किला कुल 8 किला बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादिया सरीफा का 1/2 हिस्सा एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादी इकबालखां का 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी सं. 2 से 5 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादिया सं. 26 ने अपना जबावादाव पेश कर कथन किया कि " प्रतिवादिया सं. 26 ने इल्मदीन से जरिये बैयनामा दिनांक 11.6.2004 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया और बैयनामा व इन्तकाल के बाद मिन प्रतिवादिया की कब्जा काश्त है और बैयनामा व इन्तकाल के बाद मिन प्रतिवादिया की खातेदारी दर्ज है।

प्रतिवादी सं. 27 ने अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि " चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 व मु.न. 19 के किला नं. 1 की भूमि वादीगणं के पिता सफी मोहम्मद के कब्जा काश्त में नही थी मु. न. 12 के किला नं. 21 व मु.न. 19 के किला नं. 1 की भूमि कभी भी सफी मोहम्मद व वादीगण के कब्जा काश्त में नही रही बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 25 के पिता असरफ अली की खातेदारी भूमि हुआ करती थी। असरफ अली के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं. 25 को विरासत उक्त भूमि मिली थी। मिन प्रतिवादी सं. 27 ने इल्मदीन से जरिए बैयानामा दिनांक 11.7.2000 व दिनांक 11.5.99 द्वारा खरीद कर कब्जा भूमि प्राप्त किया है और बैयनामा इन्तकाल के बाद मिन प्रतिवादी उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है। मिन प्रतिवादी की खरीद शुदा भूमि है। वादभूमि असरफ अली ही उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार था एव असरफ अली के नाम से ही उक्त भूमि की गिरदावरी हुआ करती थी। वादीगण द्वारा उक्त मद में दर्ज 2033 की गिरदावरी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष सन् 1977 में कार्यवाही का विवरण दर्ज किया है। मिसल सं. 18/77 बअनुवानी सफी पुत्र भादर का निर्णय दिनांक 18.7.77 को निर्णय उक्त मद में दर्ज तथ्यों से विरोधाभाषी है। वादीगण ने 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 23 व मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 3 का विवरण दर्ज किया गया है परन्तु मिसल नं. 18/77 के निर्णय दिनांक 18.7.77 में मु.न. 12 के किला नं. 1 ता 3 व मु.न. 19 के किला नं. 21 ता 23 दर्ज किए हुए है। इस प्रकार दावा की उक्त मद में दर्ज तथ्य मिसल सं. 18/77 निर्णय दिनांक 18.7.77 से विरोधाभाषी है। मु.न. 12 के किला नं. 21 व मु.न. 19 के किला नं. 1 की गिरदावरी को दुरूस्त करने का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा कोई आदेश नही दिया गया है।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं अभिवचनो व दस्तावेजो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1- आया वादी चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 से 24 की 4 किला व मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 4 की 4 किला कुल 8

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

किला कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व वादी सं. 2 से 5 संयुक्त रूप से सम्भाग 1/2 हिस्सा बहिस्सा के खातेदारी काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है ? —वादीगण

2- आया ऊपर वर्णित 8 किला कृषि भूमि को वादीगण—प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता में से अलग अलग करवाकर अपने नाम से दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा अनुतोष के भाग (ख) के मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के कानूनी अधिकारी है

—वादीगण

3- अनुतोष

साक्ष्य वादी में पीडब्लयू 1 इकबाल खॉ के बयान करवाये गये दस्तावेज साक्ष्य में इस गवाह ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2062 से 65 Exp1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2018—19—20 Exp2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2032—34 Exp3, नकल खसरा भू—प्रबंध तीन प्रतियों में Exp4, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी ने गिरदावरी सम्वत 2010—12, 14 से 17 की नकल लेने हेतु पेश की आवेदन की पुस्त Exp5, व उस पर तहसील कार्यालय हनु की रिपोर्ट Exp6, नकल प्रतिलिपि आवेदन दिनांक 9.12.09 Exp7, तथा चाहे गये रिकार्ड की रिपोर्ट उपलब्ध नही होने बाबत EXP8, चित्रप्रति नकल दरख्वास्त सफी का जो मिसल नं. 18/77 में प्रस्तुत की गयी चित्रप्रति फर्द अहकाम एसडीओ नोहर दिनांक 23.6.77, 5.7.77, 14.7.77, 15.7.77, 18.7.77 एवं दिनांक 26.12.79 मिसल नं. 18/77 की है व चित्रप्रति निर्णय दिनांक 18.7.77 व चित्रप्रति खतौनी प्रदर्शित करवाई और वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य पेश ना करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मुकर्र की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 सुमित्रा पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी गणेशपुरा बास भादरा ने अपने अपने साक्ष्य की ताहिद में असल बैयनामा दिनांक 11.6.2004 चक 10 बारानी के मु.न. 11, 12, 18, 19, 42, 43 में से 0.759 हैक्टर भूमि खरीदने को बैयनामा पेश किया जो EXDA1 जिसकी चित्रप्रति EXDA1/A, डीडब्ल्यू 2 में बरकत पुत्र खैरदीन जाति मुसलमान निवासी जोगीवाला तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जिसके द्वारा प्रस्तुत असल खातेदारी पट्टा जो असरफ के नाम से जारी है जो EXD1 असल बैयनामा इल्मदीन द्वारा दिनांक 11.5.99 EXD2 व इल्मदीन द्वारा एक बैयनामा दिनांक 11.7.2000, EXD3 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाई। प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश ना करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु मुकर्र की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का बगौर अध्ययन किया। तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार हैः–

तनकी नं0 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार सबूत वादीगण पर था। वादीगण चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 से 24 की 4 किला व मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 4 की 4 किला कुल 8 किला कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व वादी सं. 2 से 5 संयुक्त रूप से सम्भाग 1/2 हिस्सा बहिस्सा के खातेदारी काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। इस सम्बध में वादीगण द्वारा अपने अर्जीदावा में लिखित कथनो के अलावा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया है इसके अलावा वादी ने अपने दावा या मुख्य् परीक्षा के कथनो में यह नही बताया है कि उनके पूर्वजो द्वारा किस खसरा की खाम भूमि को नौतोड कर काश्त करना शुरू किया था। साक्ष्य मे केवल मात्र पीडब्ल्यू 1 वादी इकबाल पेश हुआ है, जिसने दावा मे दर्ज कथनो को ही अपनी मुख्य परीक्षा मे दर्ज किया है तथा जिरह में उसने बताया कि जब भूमि नौतोड़ की तब खसरो मे होनी बताई है लेकिन खसरा नम्बर उसे पता नही है। इस गवाह ने जिरह मे यह भी स्वीकार किया है कि जो भूमि अलॉट हुयी थी उसके मुताबिक वर्तमान जमाबंदी नही है। वर्तमान जमाबंदी के मुताबिक मेरा कब्जा नही है, अज खुद कहा कि वह अव्यवस्थित है मेरे दादा को उक्त भूमि अलॉट हुयी थी वह पूरी है। विवादित भूमि अलॉट भूमि से अलग है। मेरे दादा सफी के नाम से दुरूस्ती हुयी वह मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 24 एवं मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 4 है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त में मु.न. 12 किला नं. 21 ता 23 एवं मु.न. 19 किला नं. 1 ता 3 दुरूस्त हुये है। वादी ईकबाल ने अपने साक्ष्य जिरह में स्वीकार किया है कि बरकत के रजिस्ट्री के विरूद्ध मैने कोई सिविल न्यायालय में कार्यवाही नही की है एवं ना ही हस्तगत प्रकरण में बैयनामा को चुनौति दी है। मेरे पिता ने सम्वत 1995–96 में उक्त विवादित 8 किला भूमि नोतोड़ की थी, यह बात मुझे मेरे पिता ने बतायी थी। इस प्रकार दावा की उक्त मद में दर्ज तथ्य मिसल सं. 18/77 निर्णय दिनांक 18.7.77 से विरोधाभाषी है। मु.न. 12 के किला नं. 21 व मु.न. 19 के किला नं. 1 की गिरदावरी को दुरूस्त करने का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा कोई आदेश नही दिया गया है। मु.न. 12 के किला नं. 21 की भूमि अशरफ को कीमतन अलॉट हुई थी, जिसका पट्टा अशरफ के पक्ष में माननीय कलक्टर महोदय का जारी किया गया है, जिसका वादी ईकबाल के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एवं ना ही किसी भी सक्षम न्यायालय में उक्त पट्टा एवं बैयनामा को खारिज करवाने हेतु अपील की गई। इस प्रकार वादीगण का वाद साबित नही होता है। ऐसी दशा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

में केवल मात्र वादीगण के मौखिक साक्ष्य के आधार पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार से वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी सं. 26 व 27 के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार सबूत वादीगण पर था। चुंकि तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है तो वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण का चक 10 बारानी के मु.न. 12 के किला नं. 21 ता 24 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 4 कुल 8 किला भूमि वादीगण सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण सं. 2 ता 5 संयुक्त रूप से सम्भाग 1/2 हिस्सा को साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 39/2013

अनवान :

1. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा।
3. फिरोज खां उम्र 10 वर्ष पिसरान मोहम्मद अली नाबालिग
4. असलम खां उम्र 8 वर्ष जरिये इष्ट मित्र माता अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 19 भादरा।
5. नगीना उम्र 12 वर्ष पुत्री मोहम्मद अली नाबालिग जरिऐ इष्ट मित्र माता अन्तु सलाम पत्नी मोहम्मद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा ।

–वादीगण

बनाम

1. नाजमा बेवा सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
2. श्योकत पुत्र सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. भादरा तहसील भादरा।
3. शमसेर पुत्र सलामू जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
4. खुशी मोहम्मद पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
5. नेक मोहम्मद पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

5/1 जमीला
5/2 जुमिया
5/3 जनत
5/4 बरकत
5/5 दिन मोहम्मद
5/6 असगर खां
5/7 महमूद
5/8 युनस
5/9 इस्लाम

} पुत्र–पुत्रियान नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6. मारिया बेवा यासीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

7. कासम
8. सरीफ

} पि0 यासीन कौम मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

9. मुन्शी भादरा तहसील भादरा।
10. अंगुरा बेगम पुत्री सफी मोहम्मद पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार निवासी माधोसिंधाना तहसील व जिला सिरसा।
11. सरीफा उर्फ सरिया पत्नी सफी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
12. गुलाब मोहम्मद
13. फैज मोहम्मद
14. हनीफ खां
15. रजाक खां
16. बिसिया बानो
17. जैतुन बानो
18. ज्यानम बानो
19. जूले खां

पुत्र–पुत्रियान फुल मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

20. सन्तलाल
21. जसवन्त

पिसरान धनपतराम जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

22. फुलीदेवी पत्नी मोहरसिह जाति जाट निवासी गढीछानी हाल वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
23. युसुफ
24. शान मोहम्मद

पिसरान उमनदीम जाति मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।

25. इल्मदीन पुत्र असरफ अली खां कौम मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड नं. 22 भादरा तहसील भादरा।
26. सुमित्रादेवी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 भादरा तहसील भादरा।
27. बरकत पुत्र खेरदीन जाति लूहार मुसलमान निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एव 188 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूर चन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेन्द्र गोयल, कील श्री पवन सिहाग एवं रतन सिह धारीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश होने पर वाद वादीगण साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.1.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़